न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला – पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

राजस्व विविध संख्या :– 46/2018
आर.सी.एम.एस. :– 2018/00100
दायर तिथि :– 14.06.2018
तारीख निर्णय :– 07.01.2020

प्रार्थी :–

अर्जुनसिंह पुत्र सरदारसिंह, जाति राजपुरोहित
निवासी – पराखिया, तहसील – सुमेरपुर, जिला–पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थी :–

तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक 07.01.2020

वकील प्रार्थी एवं सरकारी पैरोकार उपस्थित। बहस सुनी गयी।

प्रार्थना पत्र में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

(1) प्रार्थी व अन्य दीगर खातेदारान् के संयुक्त स्वामित्व एवं खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि नये खाता संख्या 118 में क्रमशः खसरा नम्बर 379, 380 रकबा क्रमशः 0.54, 0.44 हैक्टेयर कुल 0.98 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम सरहद मौजा पराखिया, पटवार क्षेत्र नेतरा में आयी हुई स्थित है।

(2) प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। लेकिन प्रार्थी व अन्य दीगर खातेदार मौके पर अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु कदीमी में संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित मार्क 'ए' से 'बी' रास्ते का उपयोग करते है। यानि प्रार्थी व अन्य दीगर खातेदारान् खसरा नम्बर 375, 374 किस्म बारानी दोयम ग्राम पराखिया की सिवाय चक भूमि में से करते आ रहे है, जो सरहद मौजा पराखिया से बिसलपुर जाने वाली कच्ची सड़क किस्म गै.मु. रास्ता से मिलता है, संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थी के खेत में आने–जाने हेतु संलग्न राजस्व नक्शा में दर्शित लाल रंग के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने को कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है और ना ही इसके अलावा कोई उपयुक्त स्थान है।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार सुमेरपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट/जबाव में यह बताया कि ग्राम पराखिया के खसरा नं. 379 व 380 कुल रकबा 0.98 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम प्रार्थी एवं अन्य संयुक्त खातेदारों की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थी के खेत खसरा नं. 379 व 380 कुल रकबा 0.98 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपने खेत में आने जाने हेतु सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 375, 374 में उत्तरी माठ के सहारे–सहारे अपनी भूमि में आना जाना करता है। इसके अलावा अन्य कोई निकटतम रेकडेर्ड रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त राजस्व रेकर्ड एवं अप्रार्थी सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं मौका रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया गया। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थी की नये खाता संख्या 118 में क्रमशः खसरा नम्बर 379, 380 रकबा क्रमशः 0.54, 0.44 हैक्टेयर कुल 0.98 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम सरहद मौजा पराखिया में आने जाने हेतु संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 374 में से लम्बाई में 40 मीटर व खसरा नम्बर 375 में से लम्बाई में 64 मीटर उत्तरी माठ के सहारे–सहारे बिन्दु 'ए' से 'बी' तक दर्शाये लाल रंग अनुसार व चौडाई 4 मीटर रास्ता दर्ज किया जावें व उक्त भूमि नजरी नक्शा में मार्क ए, बी, रास्ता नियमानुसार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि अदा किये जाने पर पटवारी हल्का नेतरा व तहसीलदार सुमेरपुर माफिक निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। तथा संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग व भाग समझा जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2020 को सरेइजलास सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2020.02.13 18:41:40 IST
Reason: SelfAttested